ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

URMUL SEEMANT

प्रस्तावना

बच्चों के साथ बढ़ती हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण और अनदेखी से आज पूरी दुनिया चिंतित है। बच्चों को ऐसा सुरक्षित वातावरण मिले यह हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा वातावरण जिसमें बच्चे के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो। किसी तरह की हिंसा या पिटाई न हो। बच्चे का यौन और शारीरिक शोषण न हो। वह बीमार या दुर्बल न हो। भूखा न हो। अशिक्षित न हो। यह सब तभी संभव है जब समुदाय के सभी वर्ग बच्चों के प्रति संवेदनशील हो। बच्चों की आवश्यकताओं और भावनाओं को समझें। उनकी समस्याओं से सचेत हों और उन्हें एक ऐसा माहौल प्रदान करें जिसमें प्रत्येक बच्चे का आयु अनुसार सम्पूर्ण और समेकित विकास हो।

भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत से कानून बने हैं, इसमें से एक महत्वपूर्ण कानून है ''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000''। इस कानून और बच्चों के संरक्षण से जुड़ी बहुत सी योजनाओं को मिलकर एक करते हुए, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009 में एक योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का नाम है ''समेकित बाल संरक्षण योजना'' (आईसीपीएस)। इस योजना में 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। यह योजना केन्द्र सरकार–राज्य सरकार और समुदाय के परस्पर भागीदारी से चलाई जा रही है।

इस योजना को राजस्थान में लागू करने के लिए केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच 6 जनवरी 2010 को एक अनुबंध हुआ। इस अनुबंध के अनुसार समेकित बाल संरक्षण योजना में बाल संरक्षण हेतु सभी स्तर पर समिति गठन के आदेश हैं। समुदाय स्तर पर महत्वपूर्ण तंत्र के रुप में ''ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति'' (जीपीसीपीसी) के गठन के आदेश 4 दिसंबर 2012 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (राजस्थान सरकार) द्वारा जारी किया गया था। समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं के ग्राम स्तर पर निगरानी के लिए इस समिति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

इस समिति की संरचना, गठन प्रक्रिया, सदस्यों के कार्य करने की प्रक्रिया को समझने हेतु ''राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी'' ने 13 सितम्बर 2013 को एक निर्देशिका जारी की। इस निर्देशिका के प्रचार-प्रसार और बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण निर्माण में सहायता हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्यों और हम सबके लिए इस पुस्तिका को प्रकाशित किया गया है। पुस्तिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति इसे पढ़े व अपनी पंचायत में इस समिति के गठन करवाते हुए बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी सभी बातों को रखे।

आईसीपीएस की मॉनिटरिंग के लिए गठित तंत्र इस प्रकार है

स्तर	तंत्र
केन्द्र	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राज्य	राज्य बाल संरक्षण समिति, अध्यक्ष- प्रमुख शासन सचिव
जिला	जिला बाल संरक्षण समिति (डीसीपीसी), अध्यक्ष- जिला प्रमुख/ जिला कलक्टर
विकास खण्ड	पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति (बीसीपीसी), अध्यक्ष-प्रधान, सचिव-विकास अधिकारी
पंचायत / ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (जीपीसीपीसी), अध्यक्ष- सरपंच, सचिव- ग्राम सेवक

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति

भारत सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और बाल संरक्षण सेवाओं की बेहतर पहुंच और उनमें गुणवतापूर्ण सुधार एवं सतत् निगरानी करने के लिए समुदाय एवं अन्य विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठित करने एवं देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों की योजनाओं का लाभ एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह निर्देशिका ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के लिए तैयार की गई है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011, और समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत गठित समिति निम्न उदेद्श्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगीः–

1. बाल अधिकार एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समझ स्थापित कर समुदाय को जागरूक करना।
2. पंचायत स्तर पर जोखिम भरे बच्चों को चिन्हित कर योजनाओं का लाभ दिलाने में विभाग की सहायता करना।
3. बाल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समुदाय स्तर पर पहुंचाकर लोगों को जागरूक करना एवं योजनाओं से बच्चों को जोड़ना।
4. जरूरतमंद बच्चों को चिन्हित कर प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) पश्चात्वर्ती देखभाल, पालन पोषण, देखभाल दत्तक ग्रहण के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करना व मुख्य धारा से जोड़ना।
5. परिवार से बिछड़े हुए बच्चों की पहचान कर बच्चों को परिवार के पास भेजने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई को सहायता प्रदान करना।

6. बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी, बाल शोषण, हिंसा, दुर्व्यवहार आदि पर लोगों को जागरूक कर बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने मे सहायता देना।

7. पंचायत द्वारा बच्चों से सम्बन्धित वार्षिक कार्य योजना तैयार कर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रदान करना।

8. बच्चों के संरक्षण सम्बन्धित सभी कानून, योजना, नीति और सेवाएं पंचायत को उपलब्ध कराना एवं सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करना।

9. बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसेः–पालनहार, छात्रवृति, आंगनबाड़ी सेवाएं, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना इत्यादि) सेवाओं को अविलम्ब प्रदान किये जाने में सहयोग प्रदान करना।

समिति का गठन और कार्य प्रक्रिया निर्देश

1. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचनाः- ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 348 दिनांक 4/12/2012 निम्नानुसार है।

क्रम	सदस्यों के नाम	पद
1.	सरपंच, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत	सदस्य, सचिव
3.	वार्ड पंच (समस्त)	सदस्य
4.	प्रधानाध्यापक, स्थानीय राजकीय विद्यालय(प्रारम्भिक शिक्षा)	सदस्य
5.	बाल कल्याण अधिकारी, सम्बन्धित पुलिस थाना	सदस्य

6.	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नामित)	सदस्य
7.	ए.एन.एम., ग्राम पंचायत	सदस्य
8.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत	सदस्य
9.	अध्यक्ष, सम्बन्धित शाला प्रबंधन समिति स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रारंभिक शिक्षा)	सदस्य
10.	प्रधानाध्यापक द्वारा नामित दो बाल प्रतिनिधि (कम से कम एक बालिका)	सदस्य
11.	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/ नागरिक समाज के प्रतिनिधि (कम से कम एक महिला)	सदस्य

2. चयन प्रक्रिया :- समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का चयन सम्बन्धित प्रधान, पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा। जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

2.2. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की रूप रेखा में बिन्दु संख्या 10 में

प्रधानाध्यापक द्वारा नामित दो बाल प्रतिनिधियों के संबंध में विद्यालय की उच्च कक्षा में अध्यनरत दो सबसे प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन 1 वर्ष के लिए किया जायेगा।

3. समिति का कार्यकाल :- समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

3.2. विद्यालय की उच्च कक्षा में अध्यनरत दो प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन 1 वर्ष के लिए किया जायेगा।

4. सदस्यों का प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन :- समिति के गठन के बाद बच्चों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों, जैसे-बच्चों के प्रति संवेदनशीलता/ समिति के कार्य एवं जिम्मेदारी/ बच्चों से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाऐं/ बाल अधिकार/गांव स्तर पर बालकों से जुड़े संरक्षण के मुद्दे/ स्कूल से जुड़े संरक्षण के मुद्दे आदि सभी जिला स्तरीय बाल संरक्षण सोसाइटी, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण और आमुखीकरण उपलब्ध कराया जायेगा।

4.2. समिति के सदस्यों के नाम एवं सम्पर्क नम्बर पंचायत भवन, विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चस्पा करवाया जायेगा।

4.3. जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से समय-समय पर आदेश/ परिपत्र/ नीति-मार्ग निर्देशिका/ अन्य सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी।

5. अध्यक्ष के कार्य :- अध्यक्ष द्वारा प्रतिमाह एक बैठक तथा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बैठक आयोजित करना।

5.2. सचिव की अनुपस्थिति में सभी कार्यों को सुचारू रूप से करना।

5.3. बच्चों से जुड़ी सभी समस्याओं पर चर्चा करना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पहल करना।

5.4. बैठक में लिए गए निर्णय को पंचायत मीटिंग में पारित करवाना और पहल करना।

5.5. बैठक मे बाल संरक्षण से सम्बन्धित मार्ग-निर्देशिका परिपत्र, आदेश आदि की जानकारी सदस्यो को उपलब्ध करवाना और आवश्यक कार्यवाही करना।

5.6. बैठक मे बाल संरक्षण से सम्बन्धित सभी मुद्दों पर सदस्यों को जागरूक कर कार्य विभाजन करना।

5.7. अन्य कार्य जो विभाग द्वारा निर्देशित किया जाये।

6. सचिव के कार्य :- बाल संरक्षण समिति की प्रत्येक प्रस्तावित बैठक की सूचना लिखित रूप में सभी सदस्यों को देना।

6.2. बैठक की उपस्थिति एवं बैठक कार्यवाही विवरण तैयार रखना होगा।

6.3. बाल संरक्षण समिति द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारी (ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग आदि) को सभी पत्रांक आदेश एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

6.4. अध्यक्ष एवं सदस्यों की अनुपस्थिति में समस्त कार्य की जिम्मेदारी को पूरी तरह से सुनिश्चित करना।

7. बैठक :- प्रत्येक माह मे कम से कम 1 बैठक आयोजित करनी आवश्यक है। समिति की बैठक पंचायत परिसर में पंचायत की मासिक बैठक या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर की जा सकती है। बैठक मे प्रत्येक सदस्यों को विषय की प्रति के साथ उपस्थित होना आवश्यक होगा।

7.1. समिति का अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर या आपातकालीन स्थिति देखते हुए बैठक नोटिस जारी कर सकता है।

7.2. सचिव और सदस्य मीटिंग से पहले बिना किसी कारण स्थान एवं विषय परिवर्तित नहीं करेंगे।

7.3. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव विशेष बैठक तभी बुला सकता है जब 2/3 सदस्यों का लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ हो।

7.4. बैठक में समिति के प्रत्येक सदस्य को कम से कम दो घंटों की बैठक आवश्यक है।

7.5. समिति की प्रत्येक बैठक की अवधि लम्बित कार्यों एवं प्रकरणों पर निर्भर होगी।

8. बैठक के लिए कोरमः- ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक के लिए 2/3 सदस्यो की उपस्थिति आवश्यक है। समिति के उपस्थित लोगों के बहुमत से निर्णय लेना होगा। समिति के अध्यक्ष को निर्णय लेने की शक्ति होगी।

9. समिति का कार्य एवं भूमिका :- ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को अपने गांव/पंचायत मे सर्वे के माध्यम से श्रेणी अनुसार रिपोर्ट तैयार करनी होगी। जिसमें कानून से संघर्षरत/कानून के संम्पर्क मे आने वाले/देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों की संख्या कितनी है, और साथ ही बच्चों से सम्बन्धित यह डाटा/श्रेणीवार सम्पूर्ण सूचना से विभाग को समय-समय

पर अवगत कराना होगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को निम्न कार्य सम्पादित करने होंगे–

9.1. स्कूल नामाकंन बच्चों का नाम लिंग अनुपात, नामाकंन आयु, बच्चों का शिक्षा स्तर गाँव मे उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएं।

9.2. बच्चों से सम्बन्धित कार्य योजना तैयार करने एवं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण सर्वे करने के लिए।

9.3. बच्चों से जुड़े कानून नीति, योजनाऐं और सेवाओं की जानकारी एकत्र कर उनका प्रचार–प्रसार करना। उनका क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना।

9.4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखभाल वाले बच्चों को सूचीबद्ध करना एवं उनको सम्बन्धित योजनाओं से लाभ दिलाना।

9.5. समय–समय पर बाल संरक्षण समिति को बच्चों की गतिविधियां एवं प्रस्तावित कार्यक्रम विभाग के साथ विचार विमर्श करके कराने होंगे।

9.6. बच्चों को बाल मजदूरी, भिक्षावृति, बाल तस्करी, बाल शोषण आदि से मुक्त करने में सहायता प्रदान करना एवं ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति, स्थानीय पुलिस को सूचित करना।

9.7. पंचायत से पलायन होने वाले बच्चे, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की सूची संधारण करना एवं समय-समय पर बच्चों और परिवार को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु प्रेरित करना व प्रचार-प्रसार करना।

9.8. गाँव के सभी बच्चों का टीकाकरण रिकॉर्ड, जन्म मृत्यु दर रिकॉर्ड, ग्राम से गुमशुदा व गुमशुदा प्राप्त बच्चों की लिंगानुसार, आंगनबाड़ी केन्द्र व विद्यालय में नामांकित बच्चे, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं गाँव में बच्चों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं का रिकॉर्ड संग्रहित करना।

9.9. पंचायत क्षेत्र में आने वाले बाल गृह/ शिशु गृह/ आश्रय गृह/ विमंदित गृह का रिकॉर्ड रखना एवं बच्चों को गैर संस्थागत देखभाल में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

9.10. पंचायत मे निवासरत समस्त परिवार/ बच्चों को आधार कार्ड से जोड़ने हेतु प्रोत्साहित करना एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से कैम्प आयोजित कर कार्यवाही करना।

9.11. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य निस्तारण एवं पालना करना।

9.12. पंचायत को बाल विवाह, बालश्रम, बाल तस्करी, बाल शोषण, अशिक्षा, कुपोषण आदि से मुक्त घोषित करने में सहयोग करना।

9.13. समिति को पुलिस से उन सभी बच्चों की पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी, जो बच्चे

किसी कारण से कानून के साथ संघर्षरत/सम्पर्क में हैं जैसे चोरी, बाल अपराध, जुर्म, मार–पीट आदि।

9.14. समिति को पुलिस से उन सभी व्यक्तियों की पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी, जो लोग बालकों से जुड़े किसी भी तरह के कानून अपराध में दोषी ठहराये गये हैं, जिससे कि उन पर निगरानी रखी जा सके तथा बच्चों को उनसे दूर रखा जा सके।

9.15. समिति को क्षेत्र में आने वाले सभी अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के संदर्भ मे यह जानकारी रखनी होगी कि वह सभी रजिस्टर्ड है और पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट का पालन कर रहे हैं।

9.16. गाँव में आंगनबाड़ी एवं विद्यालय स्तर पर गठित सभी समितियां जैसे– माता–पिता शिक्षक संघ/ माता शिक्षक संघ/ विद्यालय प्रबन्धन समिति के साथ समन्वयन कर बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को सुनिश्चित करना।

9.17. क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक संगठन तथा बच्चों के हित में कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना।

9.18. समिति को प्रत्येक 3 माह में अपने क्षेत्र में हुये कार्यक्रम/प्रगति की रिपोर्ट पंचायत/ बी.डी.ओ./ सी.डी.पी.ओ./ आई.सी.पी.एस./ आर.एस.सी.पी.सी.आर. को भेजनी होगी।

9.19. समिति को बालक से जुड़े मुद्दे, भेदभाव/शोषण हिंसा व अन्य किसी तरह के अत्याचार

की सुनवाई/ बैठक एक निश्चित समय सीमा में करनी होगी, साथ ही उसकी रिपोर्ट/निष्कर्ष सम्बन्धित विभाग (जिला स्तर पर मौजूद महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग) को देनी होगी।

9.20. समिति को क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाली सभी ग्राम सभाओं/स्थायी समिति बैठक मे भागीदारी करते हुए क्षेत्र के देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों की स्थिति से अवगत कराना और सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु पहल करना।

9.21. समिति को ग्राम पंचायत के साथ समन्वय कर ''बाल ग्राम सभा'' की बैठकों का एक साल में दो बार आयोजन करना। समिति उक्त बाल ग्राम सभा मे गाँव के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी और पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में उनके विचार/ मुद्दों/ सुझाव लेगी तथा उनके सभी विचारों/मुद्दों और सुझावों को संबंधित विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास/बाल अधिकारिता/जिला बाल संरक्षण इकाई/ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं स्वयंसेवी संगठनों के साथ चर्चा करेगी।

9. 22. समिति गाँव में बने बाल समूह और बाल पंचायत को प्रोत्साहित करेगी कि वह अपने विचार/ सुझाव/ आवास/ संरक्षण के मुद्दों आदि को बैठक में रखें।

10. बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक रिपोर्ट :- समिति अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट, पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिला स्तरीय बाल संरक्षण समित और बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जायेगाः-

10.2. त्रैमासिक बैठकों का सम्पूर्ण ब्यौरा (बैठक संख्या उपस्थित लोगों की संख्या) इत्यादि।

10.3. त्रैमासिक गतिविधियां/कार्यक्रम का ब्यौरा।

10.4. बैठक में आये सुझाव/शिकायतों का निस्तारण।

10.5. आगामी कार्य योजना।

समिति का मासिक एजेण्डा

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतिमाह ''ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति'' की निम्न सम्भावित विषयों पर प्रतिमाह बैठक आयोजित कर सकती हैं:-

1. राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय में नामांकन, अनियमित बच्चे, विद्यालय की पहुंच, ड्रॉप आउट आदि बालक-बालिकाओं की वस्तुस्थिति पर चर्चा एवं निर्णय करना।

2. बाल विवाह को रोकने एवं उक्त बच्चों को जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।

3. विद्यालय में बाल समिति गठन एवं संचालित समितियों में बाल संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा एवं निर्णय करना।

4. बाल श्रमकार्य हेतु पलायन किये गये बच्चों पर चर्चा एवं निर्णय करना।

5. गाँव से गुमशुदा/लाये गये/बाल तस्करी परिवारों/व्यक्तियों को चिन्हित एवं कार्यवाही हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।

6. उक्त संबंध मे समस्त प्राप्त आकड़ों पर पंचायत में चर्चा एवं निर्णय करना।

7. आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा माँ, बच्चे एवं किशोरियों हेतु स्वास्थ्य–पोषण व बाल मित्र शिक्षा, प्रदान की जा रही सेवाओं एवं गुणवत्ता पर चर्चा एवं निर्णय करना।

8. दुर्व्यवहार, शोषण, पीड़ित बच्चों की पहचान एवं सहयोग हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।

9. जरूरतमंद बालक–बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।

10. ''पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति'' पहल करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय करना।

11. स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बाल संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा एवं कार्य योजना।

12. स्वास्थ्य व पोषण हेतु प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता एवं लाभान्वितों पर चर्चा एवं निर्णय करना।

13. क्षेत्र में बाल गृह/छात्रावास आदि संचालित होने की स्थिति में वस्तुस्थिति एवं प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में चर्चा एवं निर्णय करना।

14. समिति ''बाल मैत्री ग्राम'' निर्माण कार्य एवं प्रगति पर चर्चा एवं निर्णय करना।

15. ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रगति रिपोर्ट/ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध मे चर्चा एवं निर्णय करना।

महत्वपूर्ण फोन नंबर

1. अध्यक्ष, (प्रमुख शासन सचिव) राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी – 0141–2223387
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) –0141–2220258
3. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई – 9680389117
4. अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई (जिला कलक्टर), बीकानेर – 0151–2226000
5. अध्यक्ष, बाल संरक्षण समिति, बीकानेर – 08560085403
6. सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, बीकानेर – 09413454390
7. जिला पुलिस अधीक्षक, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बीकानेर – 0151–2226111
8. प्रधान, ब्लॉक/ पंचायत समिति स्तरीय बाल संरक्षण समिति, कोलायत –01534–236026
9. विशेष किशोर पुलिस इकाई, कोलायत पुलिस थाना – 9460414747
10. अध्यक्ष, ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (सरपंच) –
11. सचिव, ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (ग्राम सेवक) –
12. चाइल्डलाइन –1098

उरमूल सीमांत समिति

उरमूल सीमांत समिति लोगों के जीवन की सामाजिक और आर्थिक दशा के विकास के लिए संगठित होकर काम करने वाली संस्था मानी जाती है। वर्ष 1988 से ही, कठोर और दुर्गम समझे जाने वाले थार मरुस्थल के वंचित और गरीब समुदाय के बच्चों का संपूर्ण विकास ही उरमूल परिवार के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल रहा है। बच्चों की सही देखभाल, शिक्षा-दीक्षा, सुरक्षा तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति और अधिकारों के लिए उरमूल परिवार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से अपने कार्यक्रमों के जरिए हजारों बच्चों के साथ काम कर रहा है। बच्चों की सुरक्षा एवं विकास के लिए उरमूल सीमांत समिति को समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहा है। वर्तमान में उरमूल सीमांत समिति, बीकानेर के कोलायत विकास खण्ड और जोधपुर के बाप विकास खण्ड में बाल सुरक्षा और बाल सहभागिता विषय पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरुक कर रही ही।

उरमूल सीमांत समिति
ग्रिड सब-स्टेशन के पास, बज्जू, कोलायत, बीकानेर-334305, राजस्थान।
फोन नंबर - 01535-232034, mail@urmul.org, www.urmul.org